

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भारतपुर

पीठासीन अधिकारी:- श्री परशु राम धानका आर.ए.एस.

अपील संख्या:-5/2020 (GCMS No. 2020/00005) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

आम जनता खवा

1. विजय सिंह पुत्र जुगराज गुर्जर निवासी ग्राम खवा
2. रामचरण पुत्र जगदीश गुर्जर निवासी खवा
3. चिरंजीलाल पुत्र रामफुल जाति माली निवासी खवा तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. किशना पुत्र हरिया जाति माली निवासी खवा।
2. सुरेश पुत्र बजरंग लाल जाति ब्राह्मण निवासी खिलचीपुर।
3. उदयचंद पुत्र बजरंग लाल जाति ब्राह्मण निवासी खिलचीपुर।
4. महेशचंद पुत्र बजरंग लाल जाति ब्राह्मण निवासी खिलचीपुर।
5. अध्यक्ष आवंटन सलाहकार समिति उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर।

.....रैस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध निर्णय जिला कलक्टर सवाई माधोपुर दिनांक 18.03.2019 प्रकरण संख्या 28/2016 उनवानी आम जनता खवा जरिये विजयसिंह बगै. बनाम किशना वगै. बावत् आवंटन आदेश दिनांक 10.11.1975 उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर।



उपस्थिति:-

1. श्री संदीप शर्मा, वकील अपीलान्ट
2. श्री कमलेश गुर्जर, वकील रैस्पोडेन्ट

40
अति. संभागीय आयुक्त
भारतपुर

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 18.03.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.03.2019 को निगरानी प्रार्थना पत्र अपीलान्ट खारिज कर दी गई, जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोंडेन्टस की ओर से पैरवी हेतु श्री कमलेश गुर्जर एडवोकेट ने हाजिर अदालत आकर वकालतनामा पेश किया।
3. उभयपक्ष के अभिभाषकगण को अपील पर सुना गया।
4. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य हैं। आराजी खसरा नम्बर 19/4 रकवा 5 बीघा वांके ग्राम खवा सवाई माधोपुर चारागाह भूमि है जिसमें खवा एवं आसपास के क्षेत्र के गांवों के मवेशियां चराई करती हैं। उसमें बैठते है व चारागाह के काम में लेते हैं। रेस्पोंडेन्टस का कभी कब्जा नहीं रहा। वक्त आवंटन भूमि चारागाह थी। रेस्पोंडेन्टस भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में नहीं आते हैं। रेस्पोंडेन्टस के खाते में 10 बीघा जमीन पूर्व से ही थी। रेस्पों. को आवंटित भूमि चारागाह थी जिसको बिना किस्म बदले दिनांक 10.11.1975 को आवंटित कर दिया गया। आवंटन शुदा आराजी की किस्म चारागाह थी जिसे सिवायचक अंकित किये जाने का नोट संवत् 2020-23 की जमाबंदी में लगा हुआ है लेकिन किसके आदेश से सिवायचक दर्ज की गई अंकित नहीं है और न कोई ऐसा आदेश वजूद में है। रेस्पों. ने आवंटन आदेश की किसी भी शर्त की पालना नहीं की और न ही उक्त भूमि को कभी काश्त की है। पटवारी से साजबाज कर झूठी एवं मिथ्या कब्जा रिपोर्ट बना दी। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 तथा राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 एवं 7 के प्रावधानों का अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। चारागाह भूमि ग्राम पंचायत से परमीशन करके ही जिला कलक्टर चारागाह भूमि को चारागाह से सार्वजनिक प्रयोजन से ही अलग किया जा सकता है परन्तु उक्त सम्पूर्ण प्रकरण में जिला कलक्टर द्वारा चारागाह भूमि को बारानी तृतीय दर्ज करने का कोई आदेश पारित नहीं किया है। चारागाह भूमि में से कोई भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अलग की जाती है तो दूसरी चारागाह भूमि सुरक्षित रखने के आदेश जिला कलक्टर द्वारा पारित किया जाते हैं परन्तु



40
अति. संभागीय आयुक्त
भक्तपुर

अन्य कोई भूमि आरक्षित नहीं की गई है। चारागाह भूमि को बिना किसी सक्षम आदेश के ग्राम पंचायत की सहमति के बिना बरानी तृतीय दर्ज कर मात्र रेसपो. को आवंटित करने के आशय से उक्त कार्यवाही की गई है जबकि चारागाह भूमि को ग्राम पंचायत एक प्रस्ताव लेकर जिला कलक्टर को भेजेगी और फिर जिला कलक्टर लोक प्रयोजन के लिए घोषित करेगा। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.03.2019 निरस्त किया जाकर आवंटन दिनांक 10.11.1975 मिसल संख्या 3757/75 ग्राम खवा निरस्त किया जावे।

5. वकील रेसपोडेन्ट द्वारा दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्टस द्वारा दिये गये तर्कों का खण्डन करते हुये दलील दी कि अदालत मातहत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया आवंटन विधि सम्मत हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है क्योंकि अप्रार्थी के पक्ष में आवंटित की गयी भूमि ख.नं. 19/4 रकवा 5 बीघा बांके ग्राम खवा मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2020-22 के अनुसार सिवायचक बरानी-3 में परिवर्तित किये जाने का नोट अंकित किया हुआ है तथा आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर रिपोर्ट पटवारी में भी स्पष्ट अंकित किया है कि आवंटित की जाने वाली भूमि ख.नं. 19/4 बरानी-3 किस्म की है। जहाँ तक आवंटि भूमिहीन नहीं होने का प्रश्न है तो आवंटन फार्म पर प्रार्थी के पिता के नाम 8 बीघा भूमि बतायी गयी है जिसमें प्रार्थी नोशनल शेयर 4 बीघा भूमि अंकित की है। इस प्रकार प्रार्थी के हिस्से में आने वाली मात्र 4 बीघा होने के कारण आवंटि एक भूमिहीन व्यक्ति की श्रेणी में आता है। आवंटित भूमि पर आवंटि का कब्जा नहीं होने का कथन इसलिए सही नहीं है क्योंकि आवंटन पत्रावली पर उपलब्ध कब्जा रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी प्रार्थी को दिनांक 10.11.1975 को गवाह गिराज पुत्र जैनारायण मीना व जगन्या पुत्र मोरया मीना की उपस्थिति में ख.नं. 19/4 का कब्जा सम्भलाया गया है। उक्त दोनों गवाहों के हस्ताक्षर कब्जा रिपोर्ट पर मौजूद हैं। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के इतने समय पश्चात आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। आवंटि एवं उसके पश्चात क्रेतागण को उक्त आवंटित भूमि का खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुका है। इतने वर्षों बाद केवल उसी आवंटन को निरस्त किया जा सकता है जो आवंटन सलाहकार समिति से तथ्य छिपाकर अर्थात् मिथ्या कथन छलपूर्वक कराया गया हो। उक्त आवंटन मिथ्या कथन छलपूर्वक कराये गये आवंटन की श्रेणी में नहीं आता है। अतः अपील अपीलान्टस खारिज फरमायी जावे।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटित भूमि वक्त आवंटन चारागाह नहीं

40
अति. सभागीय अध्यक्ष
मरतपुर

थी, बल्कि उक्त भूमि की किस्म मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2020-22 में बारानी-3 परिवर्तित की जा चुकी थी। वकील प्रार्थी द्वारा आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश विधि विरुद्ध होने के कथन की पुष्टि में कोई विधिसम्मत साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह सिद्ध होता हो कि आवंटी किशना को दिनांक 10.11.1975 को किया गया आवंटन विधि विरुद्ध है। क्योंकि वरवक्त आवंटन आवंटित भूमि की किस्म बारानी-3 दर्ज थी। इतने वर्ष पश्चात् केवल मिथ्या, छलपूर्वक कराये गये आवंटन को ही खारिज किया जा सकता है। अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन मिथ्या, छलपूर्वक आवंटन की श्रेणी में नहीं आता है। आवंटित भूमि का आवंटन आवंटी व उसके पश्चात् क्रेतागण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। न्यायालय के मत में आवंटन आदेश दिनांक 10.11.1975 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलान्त खारिज किये जाने योग्य है।

7. फलस्वरूप अपील अपीलान्त खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.03.2019 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.09.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(परशुराम धानका)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर